


बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

का०आ०सं०- वि० प्रा० (I) नियुक्ति-04/2017/ 165 /पटना, दिनांक- 17-1-2018

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक- 180 दिनांक- 08.11.2017 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतनमान रू० 15600-39100 + ए.जी.पी. 5400 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ता के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित रा०पो०/रा०म०पो० संस्थान का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुश्री श्वेता चौबे, S/O- ओम प्रकाश चौबे, C/O- एस. एस. कॉलोनी, ग्राम+पो०- चेरुइया, थाना-फेफना, जिला- बलिया- 277503	सामान्य	1	बलिया (उ०प्र०)		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो०, पटना-13
2.	श्री सुनील कुमार, S/O- बी.एन. प्रसाद, मकान सं०- 45, मोनटेशरी स्कुल लेन, बोरिंग रोड, गाँधी नगर, अपोजिट फ्रेन्ड हाउस, पटना- 800001	पिछड़ा वर्ग	3	पटना		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो० संस्थान, बरौनी, बेगूसराय।
3.	श्री निलेश कुमार, S/O- रामा नन्दन चौधरी, मकान सं०- 39, राजा राम मोहन राय हॉस्टल, बी.एच.यू., जिला- वाराणसी (उ०प्र०) - 221005	सामान्य	4	भागलपुर		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो० संस्थान, पूर्णियाँ
4.	श्रीमती संगीता कुमारी, द्वारा सुभाष कुमार राय, मुहल्ला- कुम्हारपट्टी मनईटॉड, पो०- धनवाद, थाना- धनसार, जिला- धनबाद (झारखण्ड)- 826001	अनु०जाति	8	मुंगेर		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो० संस्थान, भागलपुर।
5.	श्री रमून प्रसाद, S/O- बगेदन प्रसाद, ग्राम- सुगिया पोखर, पो०+थाना- भगवानपुर, जिला- कैमुर (बिहार)- 821102	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	7	कैमुर		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो० संस्थान, गया
6.	श्री हीरा लाल, S/O- अलखदेव प्रसाद, ग्राम- चंदौरा, पो०- मेयार, राजगीर, जिला- नालंदा- 803116	पिछड़ा वर्ग	6	नालंदा		व्याख्याता, मानवता (अर्थशास्त्र), रा०पो० संस्थान, मुजफ्फरपुर।

2. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता मानवता (अर्थशास्त्र) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

3. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।

4. सभी नव नियुक्त व्याख्याता मानवता (अर्थशास्त्र) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. इनकी यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तथा बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
7. ऐसे नव नियुक्त व्याख्याता मानवता (अर्थशास्त्र) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
9. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

K. J. Singh

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) नियुक्ति-04/2017/ 165 /पटना, दिनांक- 17-1-2018

प्रतिलिपि - श्री/सुश्री/श्रीमती-, पिता/पति का नाम-



..... ग्राम/मो०-

..... जिला- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) नियुक्ति-04/2017/ 165 /पटना, दिनांक- 17-1-2018

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

K. J. Singh

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-04/2017/ 165 /पटना, दिनांक- 17.1.2018
 प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग),
 विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
 हेतु प्रेषित।

17/1/18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-04/2017/ 165 /पटना, दिनांक- 17.1.2018
 प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार,
 पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय राजकीय
 पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
 विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित
 अभ्यर्थियों/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड
 करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यों को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त व्याख्याता का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17/1/18

सरकार के विशेष सचिव

17/01/18